रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2577] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 2014/अग्रहायण 27, 1936
No. 2577] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2014/AGRAHAYANA 27, 1936

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3213(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, बिहार राज्य के जिला गया में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप–धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, प्रभारी भूमि अर्जन अधिकारी, गया, बिहार को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यैक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात,जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप–धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

बिहार राज्य में विशेष रेल परियोजना, अर्थात ईर्स्टन डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि की संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण

जिले का नाम : गया

जिले का नाम : गया	थाना का नाम/संख्या	मौजा का नाम	प्लाट/सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	टीकारी–251	(1) अमवां	288	0.0136
			289	0.0258
			287	0.0340
			286	0.0281
			285	0.0323
			284	0.0660
			283	0.0748
			280	0.1581
			279	0.0064
			281	0.0544
			282	0.0520
			290	0.0644
			301	0.1374
			304	0.0647
			305	0.0564
			306	0.0401
			261	0.0710
			260	0.0405
			318	0.0620
			317	0.0263
			262	0.0144
			258	0.0215
			259	0.0458
(2)	चंन्दोती–171	(2) कष्ठा	212	0.0037
			214	0.0110
			221	0.0097
			220	0.0244
			219	0.0887
(3)	मोसफील गया–492	(3) इचोई	1695	0.0028
			1696	0.0211
			1710	0.1135

[फा. सं. 2013/एल.एम.एल./12/7/ईर्स्टर्न कॉरीडोर/561]

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं–1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2014

S.O. 3213(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the Schedule annexed hereto, is required for the execution of the Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor District Gaya, in the State of Bihar, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within Thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Incharge Land Acquisition Officer, Gaya, Bihar in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed Special Railway Project of Eastern Dedicated Freight Corridor District Gaya, in the State of Bihar.

Name of the District - Gaya

Sl. No.	Name of Thana/No.	Name of Mouza	Plot/ survey No.	Area (Hect.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	**Tikari - 251**	(1) AMWAN	288	0.0136
			289	0.0258
			287	0.0340
			286	0.0281
			285	0.0323
			284	0.0660
			283	0.0748
			280	0.1581
			279	0.0064
			281	0.0544
			282	0.0520
			290	0.0644
			301	0.1374
			304	0.0647
			305	0.0564
			306	0.0401

			261	0.0710
			260	0.0405
			318	0.0620
			317	0.0263
			262	0.0144
			258	0.0215
			259	0.0458
(2)	**Chandoti - 171**	(2) KASHTHA	212	0.0037
			214	0.0110
			221	0.0097
			220	0.0244
			219	0.0887
(3)	**Moffsil Gaya-492**	(3) ICHOI	1695	0.0028
			1696	0.0211
			1710	0.1135

[F. No. 2013/LML/12/7/Eastern Corridor/561]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land & Amenities-I)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.